शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र./रा.शि.के./शि.शि./दीक्षा/2020 /659 भोपाल, दिनांक 30-05-2020

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी/ सहायक आयुक्त , आदिवासी विकास समस्त जिले म.प्र.
प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त म.प्र.

विषय: CM RISE -डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम"

स्कूल शिक्षा विभाग अपने शिक्षकों के ज्ञान व कौशल संवर्द्धन को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु प्रदेश में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म तैयार कर रहा है। ऐसे समय में जबकि हमारे स्कूल बंद हैं, बच्चों और शिक्षकों की प्रगति व उन्नति के लिए स्कूल से संबंधित गतिविधियों को इन माध्यम से संचालित किया जाना जरूरी है। उल्लेखनीय है कि, इंटरनेट पर शैक्षिक सामग्री की कमी तो नहीं हैं पर शिक्षकों की आवश्यकता और सन्दर्भ अनुसार सामग्री खोजना प्रत्येक शिक्षक के लिए आसान नहीं है।

इन्हीं चुनौतियों के समाधान के लिए, राज्य शिक्षा केन्द्र, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा, **पीपल संस्था** के सहयोग से शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन और कौशल संवर्द्धन हेतु, डिजिटल माध्यम से प्रशिक्षण दिए जाने के लिए, **"CM RISE -डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम"** तैयार किया गया हैं। यह कार्यक्रम शिक्षकों , जनशिक्षकों, बीएसी, बीआरसी, शाला प्रमुख, एपीसी एकेडेमिक, एडीपीसी, संकुल प्राचार्यों के लिए निर्मित किया जा रहा है।

कार्यक्रम का उद्देश्य:

इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को डिजिटली उनकी गति अनुसार, रोचक और आनंदमय तरीक़े से सीखने-सिखाने की विधियों व विषयवार कठिन अवधारणाओं पर प्रशिक्षण प्रदान करना हैं, जिससे प्रदेश के लगभग 2.7 लाख शिक्षकों के शैक्षणिक क्षमतावर्धन में उन्नयन हो, साथ ही विद्यालय खुलने पर वे अपने बच्चों को नवीन शैक्षिक विधियों व पद्धतियों से पढ़ाने में सक्षम हो।

इस कार्यक्रम की विशेषता:

- **प्रशिक्षण की संरचना:**
  - विषय विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के सहयोग से शिक्षण प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ सामग्री तैयार की गई हैं।
  - प्रत्येक कोर्स की संरचना ऐसी है जिससे सरल और रोचक तरीकों से शिक्षकों को सीखने सिखाने में सहायता मिले।
  - शिक्षकों और प्रदेश कि वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर माड्यूल्स तैयार किये गये हैं।
- **प्रशिक्षण का माध्यम व तरीका:**
  - यह डिजिटल हैं, अतः मोबाइल और डेस्कटॉप पर इसे आसानी से उपयोग कर सकते हैं।
  - शिक्षकों की व्यस्तताओं एवं दिनचर्या को ध्यान में रखते हुए छोटे मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं ताकि प्रत्येक शिक्षक अपनी सुविधानुसार एवं अपने सीखने की गति अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।
  - प्रशिक्षण उपरान्त सर्टिफिकेट्स दिए जाने का प्रावधान भी हैं।

डिजिटल प्रशिक्षण की प्रक्रिया:

प्रशिक्षण सामग्री का फ्रेमवर्क नियमित प्रशिक्षण के फ्रेमवर्क को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक मॉड्यूल को तीन भागों में बाँटा गया हैं –

प्री वर्क – इसके अंतर्गत शिक्षकों को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ने और उनकी उस अवधारणा पर समझ को जानने के लिए कुछ विडियो या लेख दिए जाते हैं।

मॉड्यूल सत्र: इस भाग में अवधारणा को समझने हेतु विडियो या लेख दिए जाते हैं , जिससे कक्षा के सजीव चित्रण से शिक्षकों को दिशा दी जाए।

पोस्ट वर्क– इस भाग में शिक्षक द्वारा अवधारणा पर उनकी कितनी समझ बनी इसका आकलन करने हेतु विडियो और लेख दिए जाते हैं। इसी के साथ इस मॉड्यूल की सहायता से वे किस प्रकार अपनी कक्षा को बेहतर बनाएगें इस बात का भी फीडबैक लिया जाता हैं। इसके लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) की **"दीक्षा ऐप"** का उपयोग किया जाना हैं।

इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु ज़िले स्तर पर नोडल संस्था के रूप में **डाइट** कार्य करेगी। **ज़िला परियोजना समन्वयक एवं जिला शिक्षा अधिकारी/ सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास** कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वय में डाइट एवं अन्य शैक्षिक संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करने, सभी एडीपीसी, एपीसी एकेडेमिक, बीआरसी, बी.ई.ओ., बीएसी, जनशिक्षक, शाला प्रमुख और शिक्षकों की, इस प्रशिक्षण में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चत करने तथा राज्य से प्राप्त निर्देशों को सभी स्तरों तक प्रेषित कर निर्देशों कि अनुपालना सुनिश्चित कराने के कार्य, संपादित करेंगे।

उक्तानुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावें।

(लोकेश कुमार जाटव)
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

पृ.क्र./रा.शि.के./शि.शि./दीक्षा/2020 /660 भोपाल, दिनांक 30-05-2020

प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिवासी कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय/आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल।
4. कलेक्टर, समस्त जिले म.प्र.।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त जिले म.प्र.।
6. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण समस्त संभाग म.प्र.।
7. उपायुक्त, आदिवासी विकास विभाग समस्त संभाग म.प्र.।
8. प्राचार्य, आई.ए.एस.ई. एवं सी.टी.ई. समस्त म.प्र.।
9. नियंत्रक , पाठ्यक्रम/ शिक्षक शिक्षा/ प्रशिक्षण – पार्टनरशिप/ एम.आई.एस. राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल
10. जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले म.प्र.
11. स्टेट हेड सहयोगी संस्था पीपल , भोपाल
12. तकनीकी अधिकारी , टीम दीक्षा (support@diksha-ncte.freshdesk.com के माध्यम से)
13. एजूकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र